

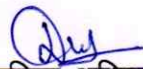
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.				
क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खीडा मालूधार से चुलेरियासिम लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.075 कि०मी०)।			
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।			
ग) परियोजना की लागत।	356.47 लाख अनुमानित।			
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	स्थानीय लोगों को यातायात की सुविधा हेतु।			
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं।			
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	निर्माण कार्य तथा यातायात की सुविधा होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।			
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार	राज्य वन भूमि हे० में	वन पंचायत भूमि हे० में	आरक्षित वन भूमि हे० में	कुल भूमि हे० में
	0.613	0.140	0.00	0.753
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हो	आवश्यकता नहीं है।			
क) परिवारों की संख्या	लागू नहीं।			
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं।			
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।			
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं।			
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सभी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं। वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र भी संलग्न है।			
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है।			

दिनांक :- 07-02-2019

स्थान :- द्वाराहाट


कनिष्ठ अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०, द्वाराहाट


सहायक अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०, द्वाराहाट


अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०, द्वाराहाट